



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092022-238700
CG-DL-E-09092022-238700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]
No. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 691(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 166 की उप-धारा (2) तथा (3) के साथ पठित धारा 176 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक फोरम नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनियामक फोरम (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विनियामक फोरम नियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात इन्हें उक्त नियम कहा गया है) के प्रारंभिक भाग में, 'के साथ पठित' शब्दों के स्थान पर 'और इसके अनुपालन में' शब्दों को रखा जाएगा।
- उक्त नियमों के, नियम 4 में,
(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) (क) आंकड़ा संग्रहण एवं विश्लेषण - अधिनियम तथा टैरिफ नीति के उपबंधों से विचलन, यदि कोई हों तो, का विशेष उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण करना कि क्या टैरिफ आदेशों तथा दू अप समय पर किया गया है और क्या टैरिफ में सभी उचित लागतों पर विचार किया गया है और क्या भुगतान योग्य सब्सिडी का उपयुक्त ढंग से लेखांकन और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार भुगतान किया गया है।

(ख) सब्सिडी का लेखांकन—(i) देश में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, यह निर्दिष्ट करते हुए तिमाही विवरण तैयार करना कि क्या वितरण कंपनियों द्वारा सब्सिडीकृत वर्ग द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा तथा भुगतान की गई प्रति इकाई सब्सिडी के सटीक लेखों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में सब्सिडी की मांग की गई है और क्या उक्त सब्सिडी का भुगतान अधिनियम की धारा 65 के अधीन किया गया है और देय तथा प्रदत्त सब्सिडी में अंतर के साथ-साथ अन्य सुसंगत विवरण के अनुसार किया गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार देय सब्सिडी की संगणना की जाएगी और इस विवरण को फोरम द्वारा प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख से तीस दिन की समयावधि के भीतर केन्द्रीय सरकार तथा संबद्ध राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) नवीकरणीय क्रय अनुपालन की निगरानी—(i) अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियमों, दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सीमित उपभोग तथा खुली पहुँच के माध्यम से विद्युत की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा, केन्द्रीय सरकार या राज्य आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्यों, जो भी अधिक हों, का अनुपालन।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद हेतु लक्ष्यों के अनुपालन के लिए आंकड़ों तथा विश्लेषण की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक प्रस्तुत की जाएगी।

[फा. सं. 23/09/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 (अ) तारीख 16 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2022

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 176 read with sub-sections (2) and (3) of section 166 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Forum of Regulators Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Forum of Regulators (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Forum of Regulators Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening portion, for the words, “read with”, the words “and in pursuance of” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 4,
(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) (a) **Data collection and analysis-** Analysis of the tariff orders and other orders of the Central Commission and State Commissions, highlighting, the departures from the provisions of the Act and the tariff policy, if any, whether the tariff orders and true up have been done timely, and whether the tariff reflects all prudent costs, and whether the subsidy payable has been appropriately accounted for and paid according to section 65 of the Act;

(b) **Subsidy accounting**— (i) Preparation of the Quarterly Statements, for each distribution licensee in the country, pointing out whether demands for subsidy are raised by distribution companies every quarter based on accurate accounts of the energy consumed by the subsidised category and the per unit subsidy payable, and whether the said subsidy is paid under section 65 of the Act, gap in subsidy due and paid as well as other relevant details.

(ii) Computation of subsidy due shall be in accordance with Standard Operating Procedure issued by Ministry of Power from time to time and this statement shall be submitted by the Forum to the

Central Government and the concerned State Commission within thirty days from the end date of each quarter.

(c) **Monitoring of renewable purchase compliance-** (i) The compliance of targets, by each of the distribution licensees, captive consumption and consumers procuring power through open access, for purchase of electricity from renewable sources as determined by the Central Government or by State Commission, whichever is higher, in accordance with the provisions of the Act and rules, regulations, guidelines made thereunder.

(ii) An annual report comprising data and analysis thereof for compliance of the targets for purchase from renewables shall be submitted to the Central Government by 31st May of next financial year.

[F. No. 23/09/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 75 (E), dated the 16th February, 2005.